

दूरभाष
Phone : 0612-2209076
फैक्स
Fax : 0612-2209075

बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स' समिति

संयोजक : भारतीय स्टेट बैंक

STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE OF BIHAR

Convenor : STATE BANK OF INDIA



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
ए.जी.एल.-एस.बी.यू.-1
A.G.L. S.B.U. - 1
स्थानीय प्रधान कार्यालय
Local Head Office
5वां तल्ला, पश्चिमी गांधी मैदान
5th Floor, West Gandhi Maidan
पटना-800 001
Patna - 800 001

AGL-SBU-1/SLBC/क्रमांक/No.: 985

दिनांक / Date : 20.09.2007

ALL THE CONTROLLING HEADS OF BANKS IN BIHAR

25/09/2007
SBI RBO के पास
दस्तावेज भेजने के लिए
20.09.2007

भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय व्यवसायिक कार्यालय दारभंगा
20 JAN 2009
Dak No. 501/09
STATE BANK OF INDIA
R. B. O. DARBHANGA

Dear Sir,

Government of Bihar

Department of Registration, Excise & Prohibition (Registration)

Notification vide Memorandum No M-216 / 2006 / 2587

& 2588 dated 17.09.2007

Exemption for Stamp duty on security documents

For Agricultural Loans up to Rs.5 lac.

This has a reference to our Letter No AGL-SBU-1 / SLBC / 720 dated 19.07.2006.

In this connection, we enclose copies of the captioned Notifications issued by the Department of Registration, Govt. of Bihar thereby amending sub para-2 of para-1 & column-1 of the earlier Notification nos -S.O.No.-1 /R-201-97-1319 & 1320 dated 30.06.2006 respectively issued for grant of exemption for stamp duty & Table of Fees, by adding the words "and other security instruments" after the word "mortgage instruments". Accordingly, stamp duty on loan documents to be executed in favor of Banks by borrowers for agricultural loans up to Rs.5 lac stands exempted.

It is for your information and necessary action.

Yours faithfully,

ASSISTANT GENERAL MANAGER

Encl: As above

मन्त्रीक/DCO/RBO/426.व.20.01.09
सभी शाखा प्रबन्धक बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
जिन्ना दरभंगा/लीतामही/भयुबनी/खिलहर
मुख्य, शाखा प्रबन्धक-अधिसूचना (निलम्बन विभागा)
विहार सरकार-विकास योजना, SHG में
कृषि मूल एवं विकास के आलेख एवं मार्गदर्शक
रु 5 लाख तक के आलेख में छूट।
पर मुख्य रूप से स्थायी संपत्ति
अधिसूचना के तहत
जिला समन्वयक
20.01.2009

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

एस.ओ.सँ०- 1 एम'- 216/2006- / भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 78 के अधीन एस.ओ.सँ०- 1320, दिनांक- 30.06.2006 द्वारा अधिसूचित फीस तालिका के अनुच्छेद (क) में किए गए संशोधन के आदेश में अनुच्छेद (क) में शब्द "बंधक लिखत" के बाद शब्द "एवं अन्य प्रतिभूति लिखत" जोड़े जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(mew)
14.9.2007

(आमिर सुबहानी)

सरकार के सचिव

एस.ओ.सँ०- 1 एम'- 216/2006- / पटना, दिनांक-
अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(mew)
14.9.2007

(आमिर सुबहानी)

सरकार के सचिव

Government of Bihar
Department of Registration, Excise & Prohibition
(Registration)

Notification

Patna, dated-

S.O.No.- 1 M'- 216/2006- / In column 1 of the order of amendment in Articles A and E of the Table of Fees U/s 78 of the Registration Act, 1908 notified vide S.O.No.- 1320, dated- 30.06.2006, the words "and other security instruments" shall be added after the words "mortgage instruments".

By order of the Governor of Bihar,

(mew)
14.9.2007

(Amir Subhani)

Secretary to Government

क्रमांक- 1 एम'- 216/2006- / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशित किया जाए एवं गजट की 500 (पांच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(mew)
14.9.2007

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव

2. In this regard Para -3 of the earlier notification no.1/R-3-201/97-62, dated- 08/01/2000 is superceded.

3. This Order shall come into force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Anil Kumar)

Commissioner & Secretary

ज्ञापांक-1/आर-3-201/97- 1319

पटना, दिनांक- 30/06/2006

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-800007 को प्रेषित करते हुए उनसे अनुरोध है कि इस आदेश को राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी मुद्रित 500(पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(अनिल कुमार),

आयुक्त एवं सचिव,

ज्ञापांक-1/आर-3-201/97- 1319

पटना, दिनांक- 30/06/2006

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार),

आयुक्त एवं सचिव,

ज्ञापांक-1/आर-3-201/97- 1319

पटना, दिनांक- 30/06/2006

प्रतिलिपि- सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी विभागीय सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / राज्य में स्थित सभी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार),

आयुक्त एवं सचिव,

ज्ञापांक-1/आर-3-201/97- 1319

पटना, दिनांक- 30/06/2006

प्रतिलिपि- समाहर्ता-सह-जिला निबंधक(सभी)/निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक(सभी)/सभी जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक एवं मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार),

आयुक्त एवं सचिव,

बिहार सरकार
निबंधन विभाग

आदेश

एस0ओ0 सं0 1/आर 3 -201/97- 1319

पटना, दिनांक- 30/06/2006

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल, बिहार द्वारा निम्नलिखित मदों में उनके सामने अंकित राशि की सीमा तक मुद्रांक की नयी दर स्वीकृत की जाती है :-

1. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सहमति विलेख (एग्रीमेंट डीड)	पूर्ण छूट
2. रॉलिंगन परिशिष्ट में उल्लिखित विकासोन्मुख कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु भूमि विकास बैंक सहित अन्य बैंकों के पक्ष में किसी व्यक्ति द्वारा ऋण प्राप्ति हेतु 5 लाख रुपये तक के बंधक विलेख के निबंधन पर	पूर्ण छूट

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0 1/आर 3 -201/97-62, दिनांक-08.01.2000 की कंडिका 3 अवकमित की जाती है।

3. यह आदेश तुरंत प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(अनिल कुमार)
आयुक्त एवं सचिव,

एस0ओ0 सं0- 1/आर 3 -201/97- 1319

पटना, दिनांक- 30/06/2006

अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसको द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार)
आयुक्त एवं सचिव,

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF REGISTRATION

ORDER

Patna, Dated... 30/06/2006

S.O.No 1/R3-201/97-1319... / In exercise of the power conferred u/s 9 (1) of the Indian Stamp Act, 1899, the new rates of stamp duty are sanctioned by the Governor of Bihar on the following items as mentioned against them:-

1. Agreement deed executed by the members of Self Help Group.	Full exemption
2. On registration of mortgage instruments executed in favour of Banks including Land Development Bank by a person for obtaining loan upto Rs.5 lakh (Rupees five lakh) for successful implementation of developmental programmes mentioned in the enclosed Appendix.	Full exemption

APPENDIX

LIST OF DEVELOPMENTAL ACTIVITIES UNDER AGRICULTURE (EXEMPTION FROM DUTY UPTO Rs. 5 Lakhs)

1. FOR RAISING CROPS-
 - i) Kharif/Rabi/Summer crops
 - ii) Loans against Warehouse Receipt
 - iii) Loans to Farmers for sugarcane under Tie-up
2. PURCHASE OF AGRICULTURAL IMPLEMENTS AND MACHINERY
 - i) purchase of agricultural implements-Iron ploughs, harrows, hose, land levelers, bundformers, hand tools, sprayers, dusters, haypress, sugarcane crushers, thresher machines, etc.
 - ii) Purchase of Farm Machinery: Tractors, trailers, power tillers, tractor accessories viz. disc ploughs. Etc.
 - iii) Purchase of trucks, mini trucks, jeeps, pick-up vans, bullock carts and other transport equipments, etc. to assist the transport of agricultural inputs and farm products.
 - iv) Transport of agricultural inputs and farm products.
 - v) Purchase of plough animals.
3. DEVELOPMENT OF IRRIGATION POTENTIAL THROUGH:
 - i) Construction of shallow and deep tubewells, tanks, etc. and purchase of drilling units.
 - ii) Constructing, deepening, clearing of surface wells, boring of wells, electrification of wells, purchase of oil engines and installation of electric motor and pumps.
 - iii) Purchase and installation of turbine pumps, needle pumps, construction of field channels (open as well as underground) etc.
 - iv) Construction of lift irrigation project.
 - v) Installation of sprinkler irrigation system.
 - vi) Purchase of generator sets for energisation of pumpsets used for agricultural purposes.
4. RECLAMATION AND LAND DEVELOPMENT SCHEMES.

Bunding of farm lands, levelling of lands terracing, conversion of dry paddy lands, into wet irrigable paddy lands, wasteland development, development of farm drainage, reclamation of soil lands and prevention of salinisation, reclamation of ravine lands, purchase of bulldozers, etc.
5. CONSTRUCTION OF FARM BUILDINGS AND STRUCTURES ETC.

Bullock sheds, implement sheds, tractor and truck sheds, farm stores etc.
6. CONSTRUCTION AND RUNNING OF STORAGE FACILITIES.

Construction of running of ware houses, godowns, silos and loans granted to farmer for establishing cold storages used for storing own produce.

विकासोन्मुख योजनाओं की सूची

कृषि क्षेत्र -

- (1) खरीफ/रबी/ग्रीष्मकालीन फसल उत्पादन
- (2) भंडार (Ware house) में प्रारित के विस्तार अथवा
- (3) गन्ना (Tie-up) योजना के अंतर्गत कृषकों को अथवा

2. कृषि औजारों एवं कृषि संयंत्रों की खरीद -

(i) कृषि औजारों की खरीद -

लोहा का हल/खुरपी/ कुदाल/ लौकी (land levellers)/ अन्य हाथ से संचालित औजार/रप्ते मशीन/भुडकाव मशीन (Dusters)/ लौनी मशीन (Hay press)/ गन्ना पेंसाई मशीन/ थ्रेशर इत्यादि।

(ii) कृषि संयंत्रों की खरीद -

ट्रैक्टर/ टेलर/ पावर रोलर / ट्रैक्टर के कल पुर्जे यथा डिश, हल आदि।

(iii) कृषि लागत एवं फसल उत्पादों की दुलाई में सहायता के लिए ट्रक, मोती ट्रक, जीप, पिकअप वान, बैल गाड़ी का कय।

(iv) कृषि लागत एवं फसल उत्पादों की दुलाई।

(v) जुताई के लिए पशुओं की खरीद।

3. सिंचाई क्षमता में विस्तार -

(i) सैलों एवं गहरे द्रुम्य बेल, तलाव का निर्माण एवं ड्रिलिंग ईकाईयों की खरीद।

(ii) कूपों एवं कुओं के सतहों की सफाई, तथा गहरा करना एवं उनके निर्माण/ कुओं में

बोरिंग लगाना विद्युतीकरण, बिजली का मोटर एवं पम्प लगाना और दमकल सेट का कय।

(iii) टरबाइन पम्प/ ट्रिडल पम्प/ नाला (भूमिगत नाला सहित) का निर्माण।

(iv) लिफ्ट सिंचाई का निर्माण।

(v) स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली लगाना।

(vi) कृषि उद्देश्य के लिए पम्प सेटों के उर्जा विस्तार के लिए जेनरेटर सेट की खरीद।

4. भूमि उद्धार एवं विकास कार्यक्रम -

कृषि भूमि की बंछिंग/ जमीन का सतहीकरण/ घेराबंदी/ शुष्क धनहर भूमि को सिंचित भूमि में परिवर्तन करना/ बंजर भूमि विकास / कृषि जल निकासी का विकास/ मृदा संरक्षण एवं मृदा क्षरण का बचाव/ खादर भूमि (Ravine land) विकास/ बुलडोजर की खरीद।

5. फार्म हाउस एवं अन्य निर्माण -

बैलों के लिए शेड/ फसल लेभारी के लिए शेड/ ट्रैक्टर एवं ट्रक के लिए शेड/ कृषि भंडार।